

-: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थीयों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। अतः दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाते हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खसरा संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
मौलासरी	149	पुसाराब पुत्र इमरान, आहि- आह	466	0.04	पुसाराब पुत्र	466	0.04
			531	5.58	इमरानाराब	531	5.58
			540	0.82	आहि-आह	540	0.82
			605	0.07		605	0.07
			606	2.41		606	2.41

क्रमांक :-

409
21.X.21

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- उप तहसीलदार, मौलासरी

शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
दिनांक :- 2021, प.स. मौलासरी

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- पटवार हल्का..... को भेजाकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासरी

